

राजस्थान सरकार
कार्यालय निदेशक कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

कमांक. एफ 20(101)/बजट/लेखा/आयोजना भिन्न/निकाशि/2010-11/442-461

दिनांक 08.05.2012

कार्यालय आदेश

विषय :- एस.बी. सिविल याचिका सं० 4958/08 ताराचंद व अन्य के मामले में ब्याज के भुगतान बाबत।

वित्त वर्ष 2012-13 के लिए मद 2202-03-103-(02)-00-32 डिफ्रिटल (Charged) मद (आयोजना भिन्न) में निम्नानुसार बजट आवंटित किया जाता है -

क्र.सं.	नाम महाविद्यालय	आई.डी. सं.	राशि	क्र.सं.	नाम महाविद्यालय	आई.डी. सं.	राशि
1	राज० महा० कालाडेश	265	119847.00	14	राज० कला महा० अलवर	343	98900.00
2	राज० महा० चिमनपुरा	253	59968.00	15	राज० महा० चित्तौड़गढ़	254	89570.00
3	एम.एस.जे.राज०महा० भरतपुर	348	9949.00	16	राज० महा० सवाईमाधोपुर	289	243886.00
4	राज० महा० नागौर	276	49639.00	17	राज० कन्या महा० करौली	308	64859.00
5	राज० महा० ब्यावर	347	68149.00	18	राज० कन्या महा० अजमेर	296	14406.00
6	राज० महा० बारां	345	100328.00	19	राज० महा० किशनगढ़	11597	94518.00
7	राज०कन्या महा० भरतपुर	298	38103.00	20	राज० महा० अजमेर	341	12723.00
8	राज०महा०बीबीरानी अलवर	351	95578.00	21	राज० कन्या महा० पाली	312	59458.00
9	राज० महा० कोटपुतली	269	214733.00	22	राज०कन्या महा० श्रीगंगानगर	314	42548.00
10	राज० महा० करौली	266	83288.00	23	राज० महा० बयाना	249	62061.00
11	राज० कन्या महा० बूंदी	301	60895.00	24	राज० महा० धौलपुर	4937	18855.00
12	राज० कन्या महा० कोटा	309	105646.00				
13	राज०कन्या महा० बीकानेर	300	345612.00				
						योग	2153519.00

(अक्षरों रुपये इक्कीस लाख तेरहपन हजार पांच सौ उन्नीस)

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 101201653 दिनांक 08.05.2012 एवं विभागीय स्वीकृति संख्या एफ 1(248)पीएस/निकाशि/93-I/131-61 दिनांक 08.05.2012 के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय


मुख्य लेखाधिकारी
कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

कमांक. एफ 20(101)/बजट/लेखा/आयोजना भिन्न/निकाशि/2010-11/442-461

दिनांक 08.05.2012

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ।
4. संयुक्त निदेशक (कार्मिक) कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
4. श्री धीरेन्द्र देवर्षी व्याख्याता को प्रेषित कर लेख है कि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावें।
5. अंकमिलान शाखा कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।


मुख्य लेखाधिकारी
कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर